राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1,राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4) छात्रवृति/पोर्टल/कार्ययोजना/सान्याअवि/2022/3135 दिनांक 16.03.2022

परिपत्र

जिलाधिकारियों द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु छात्रवृति योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में विद्यार्थियों द्वारा गत वर्ष की अंकतालिका के स्थान पर विश्वविद्यालयों/बोर्डो/काउंसिल द्वारा कोविड महामारी के कारण बिना परिक्षाएं आयोजित कराएं क्रमोन्नत कर जारी किये गये क्रमोन्नत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जिस कारण अन्य पिछड़ा वर्ग योजना में गत परीक्षा में 60 प्रतिशत की अनिवार्यता होने के कारण प्राप्त छात्रवृति आवेदन पत्रों के निस्तारण में कठिनाई आ रही है।

अतः शैक्षणिक सत्र 2021–22 में अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत 17 प्राथमिकताओं वाली श्रेणियों में प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रों में गत परीक्षा में 60 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान की जाती है।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4) छात्रवृति/पोर्टल/कार्ययोजना/सान्याअवि/2022/3136-54 दिनांक 16.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
6. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
9. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त...।
10. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त..............................।
11. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त..........................।
12. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.................।
13. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त..............................।

14. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं............................।

15. ACP (Dy. Director) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई–मेल करवाने हेतु।

16. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।

17. उप निदेशक/सहायक निदेशक समस्त सान्याअवि को पालनार्थ।

18. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

19. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)